International Journal of Applied Research 2023; 9(5): 82-85

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(5): 82-85
www.allresearchjournal.com
Received: 21-02-2023
Accepted: 24-03-2023

मोहन लाल
शोध छात्र शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. पतंजलि मिश्र
प्राचार्य, आदर्श शिक्षा महाविद्यालय, पुरैना, जिला रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
मोहन लाल
शोध छात्र शिक्षा, अवधेश प्रताप सिंह वि.वि., रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

मोहन लाल, डॉ. पतंजलि मिश्र

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुचिलयान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्यौथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज की अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 200 अल्पसंख्यक महिलाओं (140 स्नातक + 60 स्नातकोत्तर) का चयन न्यादर्श हेतु लिया गया है। शोध क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर है। अर्थात् जनसंख्या शिक्षा में स्नातकोत्तर महिलाओं की गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन की स्थिति स्नातक महिलाओं की तुलना में अधिक संतोषजनक है।

कूटशब्दः रीवा जिला, अल्पसंख्यक समुदाय, स्नातक एवं स्नातकोत्तर, महिलाएं, सामाजिक समायोजन

1. प्रस्तावना
'अल्पसंख्यक के अन्तर्गत किसी राज्य में बसा हुआ वह प्रभुत्वहीन, जनसमूह शामिल है जिसकी ऐसी अलग जातीय, पंथिक अथवा भाषायी परम्परायें हो जो इस देश या राज्य की जनसंख्या की परम्परा अथवा भाषा से भिन्न हो। इसके साथ ही अल्पसंख्यक समूह की पर्याप्त संख्या भी होनी चाहिये तथा उस समूह की आस्था उस देश या राज्य के प्रति होन होनी चाहिए। ऐसे भाषायी अल्पसंख्यक संसार के हर देश और भारत के अनेक राज्य में निवास करते है। उनकी भाषा तथा शिक्षा की रक्षा करने का प्रावधान संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र तथा देश के संविधान में है।

समायोजन प्रक्रिया में तीन तत्व मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं। कुंठित करने वाली परिस्थितियाँ, विविध प्रत्युत्तर तथा प्रेरणायें। यदि आवश्यकताओं की पूर्ति में पर्यावरणीय परिस्थितियाँ बाधा नहीं उत्पन्न करती हैं तो समायोजन स्वतः हो जाता है। जब हम समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया का वास्तविक जीवन में विश्लेषण करते हैं तो यह सर्वथा विदित होता है कि व्यक्ति में समायोजन की क्षमता पूर्व अनुभवों, बाह्य पर्यावरणीय दशाओं तथा व्यक्तिगत शक्तियों पर निर्भर होती है।

समायोजन को सामंजस्य, व्यवस्थापन या अनुकूलन भी कहते हैं। समायोजन दो शब्दों को मिलाकर बना है– सम और आयोजन। सम का अर्थ है भली–भाँति, अच्छी तरह या समान रूप से और आयोजन का अर्थ है व्यवस्था अर्थात् अच्छी तरह व्यवस्था करना। अतएव समायोजन का अर्थ हुआ सुव्यवस्था या अच्छे ढंग से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया जिससे कि व्यक्ति की आवश्यकतायें पूरी हो जायें, मानसिक द्वन्द्व न उत्पन्न होने पायें। अनेक आवश्यकताएँ ही व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर प्रेरित करती हैं।

जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति सरलता से हो जाती है, तो उसे संतोश का अनुभव होता है नहीं तो, उसे निराशा एवं असंतोश की अनुभूति होती है। ऐसे में जो व्यक्ति यदि सृजनात्मक और परिस्थितियों के अनुकूल रहकर समायोजन स्थापित कर लेता है, वही व्यक्ति यदि बाधाओं का दूर करने में असमर्थ रहता है तो उसमें कुसमायोजन उत्पन्न हो जाता है। साधारणतयाः समायोजन की यह प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में निरन्तर चलती रहती है।

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यको को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्ध करने का अधिकार भी देता है।

अल्पसंख्यक वर्गो की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही है।

2. अध्ययन की आवश्यकता

प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1992 से संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा, राष्ट्र निर्माण में योगदान के रूप में चिन्हित कर अल्पसंख्यकों के क्षेत्र विशेष में ही उनकी भाषा, जाति, धर्म, संस्कृति, परंपरा आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने एवं समाज को जागृत करने के लिए मनाया जाता है। भारत में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया था, जिसे बाद में 2006 में अलग से केन्द्र सरकार में मंत्रालय भी बनाया गया। अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए यह मंत्रालय समग्र नीति और नियोजन, समन्वय, मूल्यांकन व नियामक ढांचे एवं विकास कार्यक्रम की समीक्षा कर योजना तैयार करता है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में सिक्ख, मुस्लिम, इसाई, झोरास्ट्रियन, बौद्ध एवं जैन समुदाय को अल्पसंख्यक अधिसूचित किया गया है।

इन समुदायों की महिलाओं और लड़कियों को कई अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या जिन्हें उपर्युक्त समस्या के रूप में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। वे कार्यस्थलों, शैक्षणिक संस्थानों या यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों पर उनके कपड़े पहनने या बोलने के तरीके या सिर्फ अपने धर्म के आधार पर गंभीर भेदभाव का अनुभव करते हैं। यह सच नहीं होने पर भी उन्हें सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से गरीब माना जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ती हैं और उन्हें बिना या बहुत कम समर्थन के अकेले भुगतना पड़ता है। इन महिलाओं के खिलाफ धर्म और लिंग आधारित भेदभाव के इस खतरनाक मुद्दे को संबोधित (एड्रेस) करने के लिए हमारे राष्ट्र के विकास और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, उन्हें पर्याप्त (सफीशियंट) प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और उनकी चिंताओं को तदनुसार संबोधित किया जाना चाहिए। चूंकि यह मुद्दा समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुका है, इसलिए इसे सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य न केवल रीवा जिले वरन् सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन कर तथा ऐसे सुझाव शोध कार्य के उपरान्त दिये जा सकेंगे जिनका प्रयोग कर राज्य शासन द्वारा कठिनाइयों को दूर कर विकसित करने पर समर्थ हो सकता है।

3. उद्देश्य

अतः प्रत्येक क्रिया का कुछ उद्देश्य अवश्य होता है बिना उद्देश्य के विभिन्न प्रकार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शोध कार्य किया जाता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में निम्नलिखित उद्देश्य है –

- शोध क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं का पता लगाना।
- अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन के सार्थकता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

4. शोध की परिकल्पनाएँ

1. "अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।"

5. शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुलियान, नईगढ़ी, हनुमना, मऊगंज, गंगेव, त्योंथर, जवां एवं सिरमौर हैं। शोधार्थी सर्वप्रथम रीवा विश्वविद्यालय से उन महिलाओं के पते एवं सर्म्पक की जानकारी प्राप्त करेगा जिन्होंने स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के दौरान जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन किया है।

समष्टि व प्रतिदर्शः प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र जिला रीवा है। इसके अन्तर्गत 9 विकासखण्ड – रीवा, रायपुर कर्चुचिलयान, सिरमौर, जवा, हनुमना, गंगेव, त्यौथर, नईगढ़ी एवं मऊगंज की अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 200 अल्पसंख्यक महिलाओं (140 स्नातक + 60 स्नातकोत्तर) का चयन न्यादर्श हेतु लिया जाएगा। इस प्रकार यह अध्ययन दोनों दृष्टियों से सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रूप में उपयोगी होगा।

6. अध्ययन विधि :

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधिः** सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना, तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साख्यिकीय विधिः** सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु, सांख्यकीय विधियॉ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– काई वर्ग (χ^2), Mean, प्रतिशत (%), S.D., 't' Test आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

7. शोध उपकरण

समायोजन परीक्षणः बैल समायोजन सूची (BAI) का निर्माण एवं मानकीकरण डॉ. आर.के. ओझा द्वारा किया गया है। प्रस्तुत समायोजन सूची बैल की समायोजन सूची के आधार पर तैयार की गई है। विद्यार्थियों के समायोजन का मापन करने के उद्देश्य से बैल ने अपनी समायोजन सूची 1934 में प्रकाशित की थी। बैल ने विषेश रूप से चिन्हित किया था कि ''यह समायोजन सूची तभी सफल है जबकि इसका उपयोग उच्च स्कूली और महाविद्यालयी विद्यार्थी जबकि इसका उपयोग उच्च स्कूली और महाविद्यालयी विद्यार्थियों के लिए किया जाये।'' इन्होंने सूची की विश्वसनीयता की गणना 'विषम–सम' तकनीकी और परीक्षण–पुनर्परीक्षण विधि द्वारा की।

प्रस्तुत समायोजन सूची का परिणाम 1968 में किया गया था, जबकि डॉ. आर.के. ओझा के निर्देशन में एक पी–एच.डी. विद्यार्थी द्वारा अपने शोधकार्य का संचालन किया जा रहा था। इस सूची में समायोजन के चार पक्षों – गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा संवेगात्मक को सम्मिलित किया गया है। इसके प्रत्येक भाग में 35 प्रश्न हैं, जिसके उत्तर 'हाँ' अथवा 'ना' में दिये जाने हैं।

8. पूर्व अध्ययन समीक्षा

पूर्ववर्ती अध्ययन से तात्पर्य अनुसंधान की समस्या से सबन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान कोशों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों तथा अभिलेखों आदि से है, जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निमार्ण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने तथा कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है इनमें से मुख्य रूप से – पाठक, पी. डी (2007)[1], सिन्हा लोकेश्वर प्रसान (2002)[2], चौधरी, कल्पना (2009)[3], राजाराम जानकी (जनवरी 2011)[4], Murthy, D.V.R. Haranath S and Arjun (October 2010)[5], धर, प्रांजल (2007)[6], Ali Asgar S. Srinivas and Padmaja K, (January 2010)[7], Priyam Krishna (2008)[8] ने शोध विधि एवं महिलाओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित कार्य किये है।

9. रीवा जिले का सामान्य परिचय

जिला रीवा मध्य प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी कोने में स्थित है। रीवा का नामकरण नर्मदा नदी के दूसरे नाम 'रेवा' पर आधारित है। रीवा नगर का नाम पहले शायद 'रेवा' रखा गया था। उसी का बिगड़ा रूप अब रीवा बन गया है।

इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व तथा पूर्व–उत्तर में उत्तर प्रदेश का ही मिर्जापुर जिला, दक्षिण में अपने राज्य का सीधी जिला और दक्षिण–पश्चिम तथा पश्चिम में सतना जिला है। इसका आकार लगभग त्रिभुज के समान है। इसका विस्तार 24.18^0 उत्तरी अक्षांश से 25^0 उत्तरी अक्षांश तथा 81.2^0 पूर्वी देक्षांश से 82.18^0 पूर्वी देक्षांश के मध्य है। रीवा जिले का क्षेत्रफल 6287 वर्ग किलोमीटर है।

10. परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयेाग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है–

परिकल्पना क्र. – 1: "अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।"

सारणी 1: अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

समूह		स्नातक उत्तीर्ण महिलाएं	स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाएं
समूह की संख्या (N)		140	60
मध्यमान (M)		59.86	68.33
मानक विचलन (SD)		17.42	16.80
क्रान्तिक निष्पत्ति ('t')		3.23	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

$df = (N_1-1) + (N_2-1)$

$df = (140-1) + (60-1) = 139+59 = 198$

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपरोक्त सारणी क्रमांक 1 मे चयनित अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन से सम्बधित प्रदत्त संकलित किये गये हैं। संकलित प्रदत्त प्राथमिक स्त्रोत पर आधारित है। सारणी में संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थकता का औसत उपलब्धि 59.86 है तथा मानक विचलन 17.42 है, और स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थकता का औसत उपलब्धि 68.33 है तथा मानक विचलन 16.80 है

198 df पर सार्थकता के लिए 't' का मानक मान 0.01 विश्वास स्तर पर 2.33 तथा 0.05 विश्वास स्तर पर 1.64 है, जबकि अध्ययन से प्राप्त 't' का मान 3.23 है, जो कि दोनो विश्वास स्तरों के मानों से अधिक है। इसलिए निर्धारित शून्य परिकल्पना अस्वीकृत हो रही है।

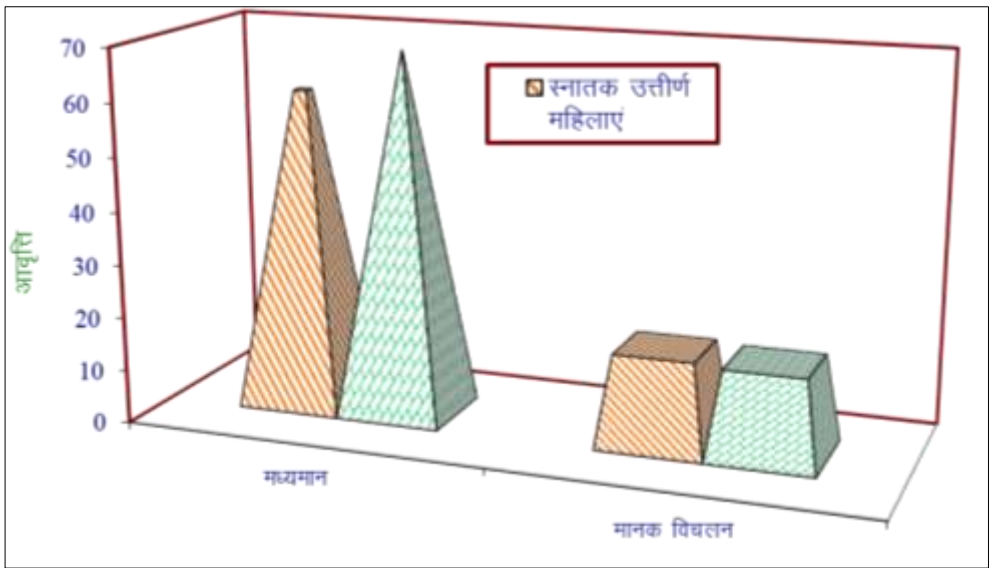

आरेख 1: अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन का आरेखीय निरूपण

निष्कर्ष

अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में गृह समायोजन, सामाजिक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन एवं संवेगात्मक समायोजन का स्तर सामान्य है। आवृत्तियों के अवलोकन से देखने में पाया कि अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक स्तर की महिलाओं की अपेक्षा स्नातकोत्तर महिलाओं में उच्च स्तर की ओर समायोजन पाया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय की स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण महिलाओं के सामाजिक समायोजन में सार्थक अन्तर है। अर्थात्

जनसंख्या शिक्षा में स्नातकोत्तर महिलाओं की गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक एवं संवेगात्मक समायोजन की स्थिति स्नातक महिलाओं की तुलना में अधिक संतोषजनक है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. पाठक, पी.डी (2007) – भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें इक्कीसवाँ संस्करण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा.
2. सिन्हा लोकेश्वर प्रसान (2002) – महिला सशक्तिकरण और दलित महिला डॉ. आम्बेडकर सामाजिक विज्ञान। पृष्ठ 51.
3. चौधरी, कल्पना (2009), भारतीय महिलाएँ और वानिकी सहकारिता, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली – 110002.
4. राजाराम जानकी (जनवरी 2011), समाज कल्याण, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की मासिक पत्रिका, डॉ. दुर्गाबाई देशमुख कल्याण भवन, नई दिल्ली – 110603.
5. Murthy, D.V.R. Haranath S and Arjun (October 2010), Use of Communication of SHGS for Empowerment of Women, The Indian Journal of Social work Vol - 71, Tata Institute of social sciences Mumbai.
6. धर, प्रांजल (2007), महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका मार्च 2007, ए विंग गेट नं. 5, निर्माण भवन ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली 110011.
7. Ali Asgar S. Srinivas and Padmaja K. Liveraging Livelihood for Muslim women in Hyderabad Role of SHGH: the Indian Journal of social work 16 Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, January 2010,
8. Priyam Krishna, New dimension of women Empowerment, Women power through self help group, Deep & Deep Publication New Delhi; c2008.